

रिपोर्ट परवाट भण्डा - होमल कोटडा

सुवा ३,

श्रीमान तहसीलदार सा.

तहसील-बुखारा, उदुपुल

~~21/5/29~~

Лет

3/7/2023

विषय:- वन विभाग उपभुक्त को वन क्षेत्र से लगती हुई
वृक्षारोपण योग्य व निर्विबाधित भूमि आवंटन करने के
सम्बन्ध में।

महोदय जी,
आपके 34 फुट विष्णु के श्रीमन् तक्षकिलपाट का के
आपका फ़ोन-233 विष्णु के

आदेश क्र 233 दिनांक 30/6/2023 कि पालन के रुतने
मोका निरीक्षण किया गया

2. भूखंड प्रस्तावित आर. 121 नं. रकबा - 40.8740 हेक्टेयर - भूगोली
के प्रस्तावित रकबा 0.3801 हेक्टेयर का भूखंड निरीक्षण में
भूखंड प्रस्तावित अनुसूचित वन विभाग वन खण्ड - काबरी के कब्जे में
है।

L उबत अजकला का वन विनाश को भावेंत करने में
माफवाही व वन को कोई आपात नहीं हो

L अतः रिपोर्ट आकार की संख्या में सादर प्रेषित की

पटवारी 31/7/2023

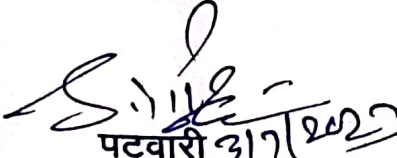
पटवारी

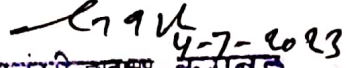
पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह.-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

परिशिष्ट- 'र'

जिला कलक्टर कार्यालय के द्वारा प्रेषित किए जाने हेतु
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 102 ए के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु
भूमि का आरक्षण

1	प्राथी ग्राम पंचायत का नाम	
2	आरक्षण हेतु चाही गई भूमि का विवरण	नाम तहसील
		नाम ग्राम
		खसरा नंबर
		किस्म भूमि
		खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
		प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)
		जमाबंदी, खसरा व नक्शों की प्रति संलग्न है।
		प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं।
		पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें।
3	यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो:-	पशु संख्या
		प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि
		क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है।
		यदि नहीं तो चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है।
4	प्रस्तावित भूमि को आबादी के लिए उपयुक्तता पर टिप्पणी:-	
5	विभागीय निर्देश दिनांक 20.10.83 के तहत आवश्यक सूचना	ग्राम की जनसंख्या
		निवास हेतु भूमि की आवश्यकता (एकड़ में)(जनसंख्या में 35 का भाग देकर गणना की जाए)
		विश्यांतर्गत निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्रफल(1000 तक की जनसंख्या के लिए 10 एकड़ अगले प्रति एक हजार या उसके भाग के लिए पांच एकड़ की आधार पर)
		कुल वांछित आबादी का क्षेत्रफल
		वर्तमान में उपलब्ध आबादी का क्षेत्रफल
6	यदि निर्धारित मानदण्ड से अधिक आबादी भूमि प्रस्तावित की गई है तो कारण स्पष्ट किए जावे	
7	क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है?	
8	यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है?	
9	यदि अतिक्रमण का नियमन प्रस्तावित है तो किन शर्तों पर	
10	क्या अतिक्रमण का नियमन, राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों?	
11	राय:-	


पटवारी 31/7/2023
पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह.-कुरावड़, जिला-उदयपुर (राज.)


तहसील-कुरावड़
जिला-उदयपुर (राज.)

जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का.....झादल कोटड़ा
सेवामें, तहसील झादल
तह. - कुराबड़

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत/संस्था प्रधान/प्र. अध्यापक/..... के प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम भा.भा.देव में वनाधिकार वृत्तारोपण हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन चाही गई है। जिसकी जांच की गई जो निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थी का नाम /ग्राम पंचायत का नाम :

2. आवेदित भूमि का विवरण

(अ) नाम तहसील

-

कुराबड़

(ब) नाम ग्राम

-

भा.भा.देव

(स) खसरा नम्बर

-

1217

(द) किस्म भूमि

-

मजरी

(य) खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल -

40.8740 हेक्टर

(र) प्रस्तावित क्षेत्रफल

-

0.3801 हेक्टर

3. चरागाह भूमि है

-

हाँ/नहीं

(अ) पशु संख्या

-

(ब) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात

ग्राम में उपलब्ध चरागाह भूमि-

(स) पशु संख्या के अनुपात में भूमि पर्याप्त- हाँ/नहीं

4. आवश्यक विवरण

(अ) ग्राम की जनसंख्या

-

(ब) निवास हेतु आबादी भूमि की आवश्यकता

-

(स) कुल उपलब्ध आबादी भूमि का क्षेत्रफल

-

5. भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति

नहीं

6. भूमि ग्राम पंचायत झादल कोटड़ा में स्थित है।

7. ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का अनुमोदन संलग्न है।

नहीं

8. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु मौके पर निर्माण किया हुआ है/नहीं है।

9. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु पूर्व में हैक्टेयर भूमि आवंटन/आरक्षित है/नहीं है।

10. कि प्रस्तावित वनाधिकार वृत्तारोपण प्रयोजन हेतु ग्राम भा.भा.देव

की आराजी नम्बर 1217 खसरा-40.8740 से 0.3801 हेक्टर

हैक्टेयर भूमि आवंटन/आरक्षित किया जाना उचित है।

11. स्पष्ट राय: आवेदन मिला जमा डी पोस्ट है

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर पटवारी
पटवारी 31/11/2023
पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह.-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

मौका पर्चा पटवारी शामल कोटड़ा तहसील गिर्वा जिला

उदयपुर

आज दिनांक को श्रीमान राम लाल कोटड़ा के आदेशानुसार उपस्थित मोतबिरान की शामलाती से ग्राम होमादेव की आराजी नम्बर 1217 रकबा 40.8750 किस्म भूरी भूमि- बिलानाम/चरागाह भूमि जिसका श्री राम लाल कोटड़ा द्वारा प्रयोजन के लिए आवंटन/आरक्षण हेतु आवेदन किया गया है जिसका मौका देखा गया। मोतबिरान के बताये एवं मौका का रिकार्ड अनुसार निम्नानुसार है-

1. यह कि ग्राम होमादेव की आराजी नम्बर/रकबा/किस्म भूमि 1217 रकबा- 40.8750 हेक्टर, किस्म- भूरी बिलानाम/चरागाह है।
2. कि आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि में से 0.3801 हेक्टर प्रयोजनार्थ आवंटन/आरक्षण चाहा है। आवेदित आराजी नम्बर 1217 में से 0.3801 हेक्टर क्षेत्रफल आवंटन/आरक्षण योग्य है।
3. प्रस्तावित भूमि चरागाह होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु मौजा — पटवार हल्का — की आराजी संख्या — रकबा — बिलानाम प्रस्तावित है।
4. प्रस्तावित भूमि मौके पर पड़त/अतिक्रमित है।
5. प्रस्तावित भूमि रा.रा.मार्ग से 40 मीटर/किमी दूर, राज्य मार्ग से 40 मीटर/किमी दूर, तालाब से 1 मीटर/किमी दूर, ग्रामीण रास्ते से 5 मीटर/किमी दूर, आबादी से 5 मीटर/किमी दूर, नदी से 1.5 मीटर/किमी दूर, रेल्वे लाईन से 1.8 मीटर/किमी दूर, हाईटेन्शन लाईन से — मीटर/किमी दूर, नाला से — मीटर/किमी दूर, हवाई अड्डे से 50 मीटर/किमी दूर, वनक्षेत्र से 0.0 मीटर/किमी दूर, अम्यारण से 2.5 मीटर/किमी दूर, एम.डी. आर. रोड से — मीटर/किमी दूर, ओ.डी.आर. रोड से 400 मीटर/किमी दूरी स्थित है। होकर नगरीय सीमा से 30 मीटर पर स्थित है।
6. प्रस्तावित भूमि नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में होकर अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है।
7. प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का विवाद न्यायालय में विचाराधीन स्थगन आदेश नहीं है।
8. ग्राम होमादेव की जनसंख्या 2011 की गणना अनुसार — है।
9. ग्राम पंचायत शामल कोटड़ा द्वारा सहमति पत्र दिया गया है। —
10. प्रस्तावित भूमि किस्म- नदी-नाला या बहाव क्षेत्र आदि की तो नहीं है। —
11. प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है।
12. प्रस्तावित भूमि पर जाने हेतु रास्ते से सम्बन्धित स्पष्ट स्थिति :- आवेदित किया जाना अपेक्षित है
13. अन्य राय: —

उपस्थित मोतबिरान ने बताया कि उपरोक्त भूमि —

प्रयोजनार्थ आवंटन/आरक्षण की जावे तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। मौका पर्चा सुनाया जाकर उपस्थित मोतबिरान के हस्ताक्षर लिए गए हैं।

शामल कोटड़ा
पटवारी 31/1/2023
पटवारी साइल-शामल कोटड़ा
तह.-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर कार्यालय के द्वारा प्रेषित किए जाने हेतु राजकीय विभागों/प्राथमिक संस्थाओं को, स्कूलों/कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनामिन्यासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन(नियम 1963)

1	प्राथी ग्राम पंचायत का नाम	ग्रा.प.-झामर कोटड़ा
2	आवंटन का प्रयोजन(शाला होने की स्थिति में सार अंकित करें)	वनविभाग द्वारा प्रयोजन हेतु
3	क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिए भूमि का आवंटन हुआ है, यदि हां तो इसका विवरण	NA
4	क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है।	—
5	प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है।	—
6	विषयातर्गत 1963 के नियम के तहत निर्धारित मापदण्ड	—
7	यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किए गए हैं, तो उसका विवरण	—
8	मानदण्डों से अधिक भूमि पाये जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य	—
9	आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण	नाम तहसील
		कुराबड़ा
		नाम ग्राम
		मामादेव
		खसरा नंबर
		1217
		किस्म भूमि
		मगरी
10	यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो:-	खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
		40.8740 हेक्टर
		प्रस्तावित क्षेत्रफल (एकड़ में)
		0.3801 हेक्टर
		जमाबंदी, खसरा व नक्शों की प्रति संलग्न है।
		संलग्न है
		प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं।
		नहीं
11	भूमि नगरपालिका में स्थित है/ग्राम पंचायत में (नाम लिखें)	पटवारी मौका रिपोर्ट संलग्न करें।
		संलग्न है
		पशु संख्या
		प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि
12	यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो:-	क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है।
		यदि नहीं तो चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प है।
		—
		—
13	भूमि नगरपालिका में स्थित है/ग्राम पंचायत में (नाम लिखें)	ग्रा.प.- झामर कोटड़ा
14	स्थानीय निकायकों निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें।	—
15	नगरीय क्षेत्र में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग के सहमति संलग्न करें।	—
16	क्या नगर का मास्टर प्लान बना हुआ है।	—
17	क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।	—
18	यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा।	—
19	यदि निर्माण कार्य पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें	—
20	पूर्व में सहमति नहीं प्राप्त करने का कारण	—
21	राय	—

पटवारी 06/7/2023

पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह.-कुराबड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)

ILR 10/11

7/11/23
तहसीलदार
कुराबड़ा, जिला उदयपुर

भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट

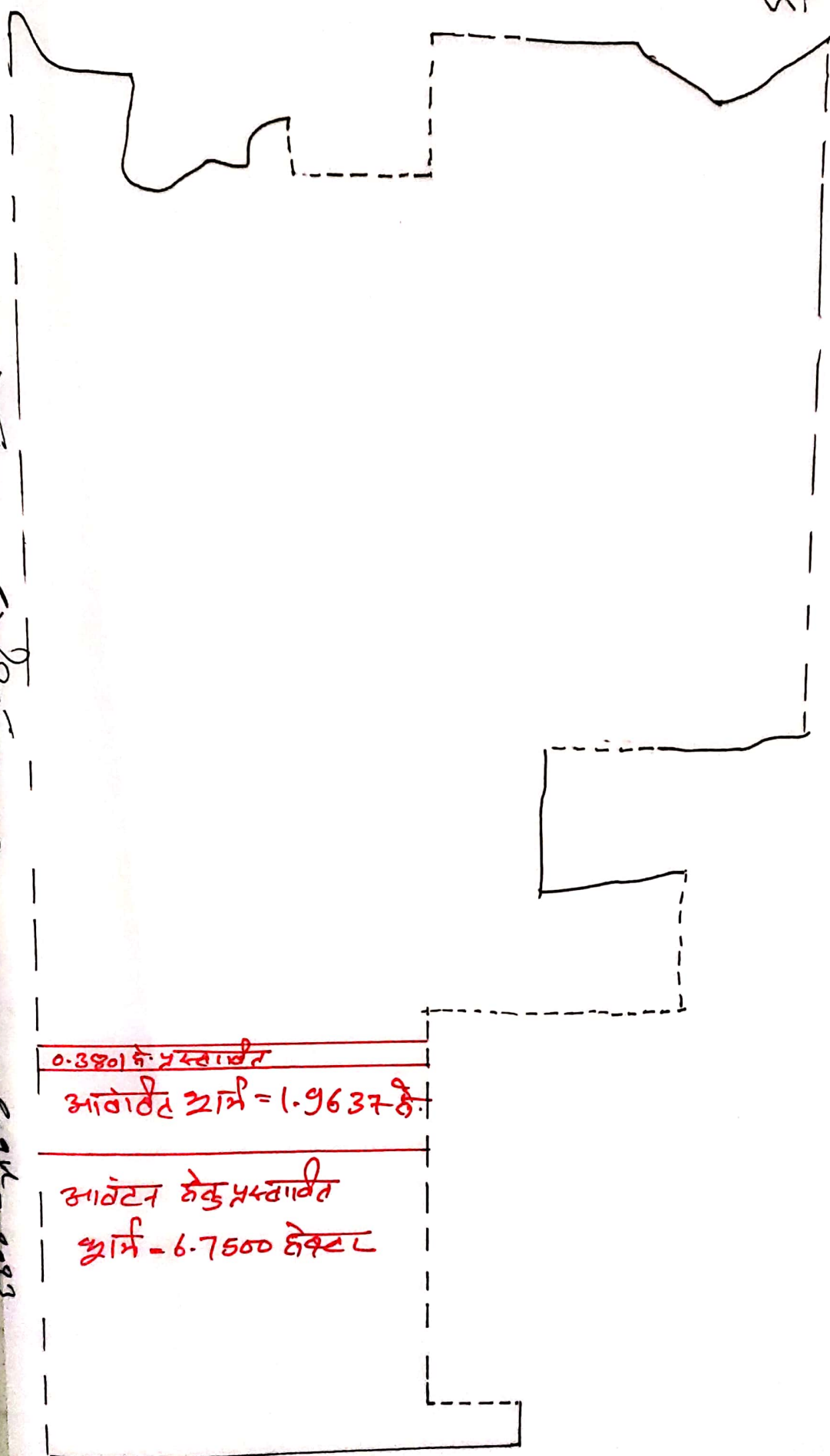
1.	जिले का नाम	उदयपुर
2.	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	वन विभाग उदयपुर जंगल पट्टा
3.	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र व अन्य विवरण	—
4.	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	—
5.	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	—
6.	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुमति है? उसका विवरण	—
7.	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिरक्षा/अभिमत एवं मान्यता	—
8.	संस्था द्वारा नोर्सो से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	—
9.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो उसका विवरण	—
10.	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा?	—
11.	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण- राजस्व ग्राम का नाम, खसरा नं., किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबन्दी व राजस्व नक्शे के	फलगत 30
12.	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	—
13.	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	—
14.	प्रस्तावित भूमि की कुल किमत	—
15.	चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर	—
16.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	—
17.	क्या भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	—
18.	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	नहीं
19.	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	नहीं
20.	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	नहीं
21.	भूमि, आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबन्दी - राजस्व नक्शा - तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	फलगत 30
22.	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह भूमि है? यदि हां तो ग्राम पंचायतों की राय/अभिरक्षा संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं
23.	यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैरीफरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है।	नहीं
24.	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	—
25.	यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है?	नहीं
26.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है	—
27.	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है?	—
28.	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वेब साइट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण।	—
29.	यदि किसी प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म चारागाह है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 19.09.2019 की पालना सुनिश्चित कर विवरण अंकित करें।	—

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टी कर ली गई है एवं तदनुसार उक्त प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिरक्षा की जाती है।

पटवारी 31/7/2023
पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

भू.अ.नि.स. हजारा
ILR
03/07/2023
C.S.
उपखण्ड अधिकारी
निवा, उदयपुर
कलेक्टर

आवृत्ति 1 वरुण क्षेत्र मोटा - भाग देव, पैमाना = 1 सेमी = 40 मी.



0.3801 हेक्टा. क्षेत्र

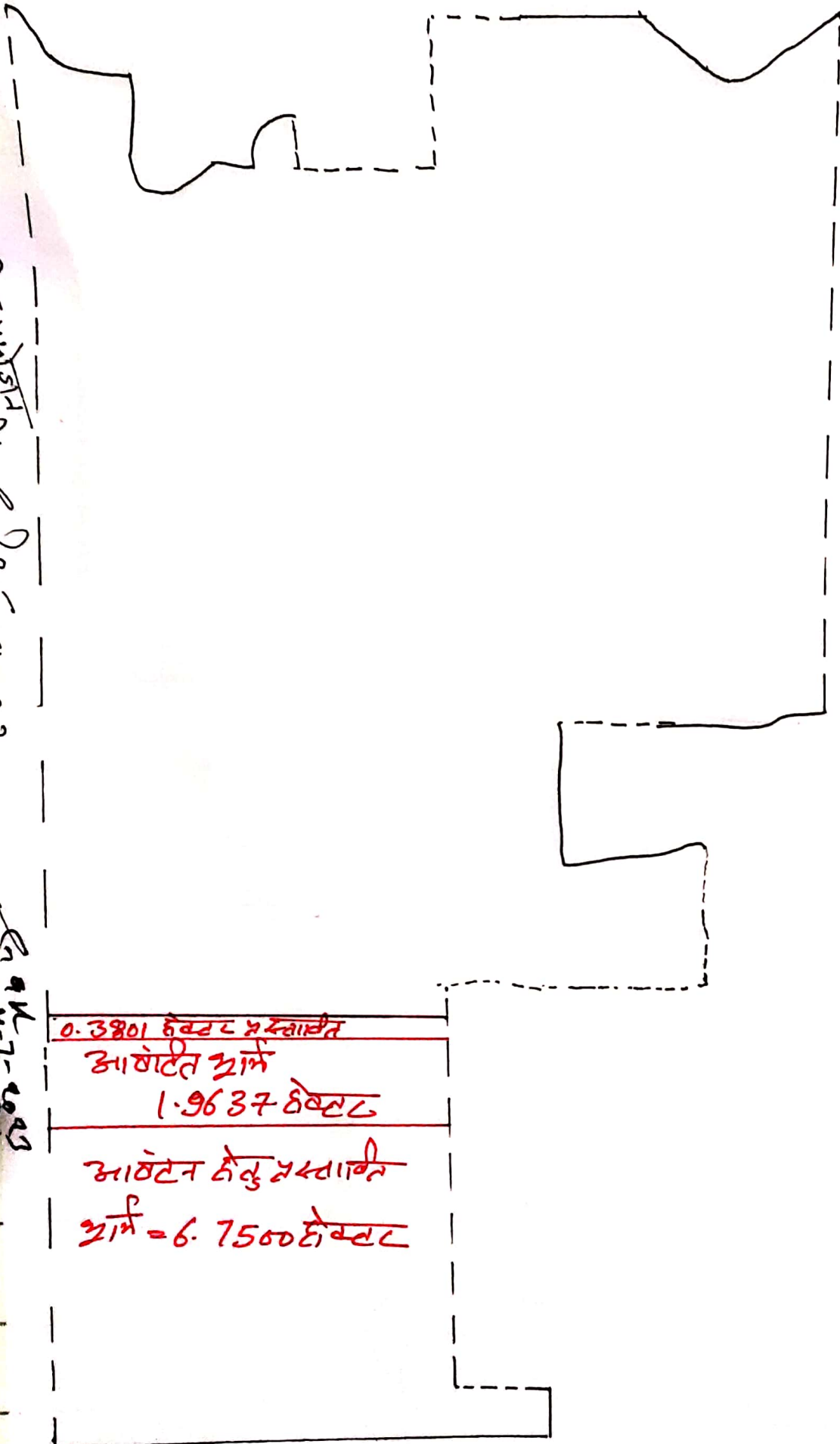
आवृत्ति क्षेत्र = 1.9637 हे.

आवृत्ति क्षेत्र प्रस्तावित

क्षेत्र = 6.7500 हेक्टा.

दीप प्रसाद
30/6/2023
23/6/2023

ગોળીય નાલકા દેશ મોડી - માનસર, પેમાન = 1 કીમી = 40 મી.



0.3801 ફેવલ પ્રદર્શાવેલ
આંશિક આર્મ
1.9637 ફેવલ
આંશિક ફેવલ પ્રદર્શાવેલ
આર્મ = 6.7500 ફેવલ

1 કીમી પ્રમાણમાં
પરિવહન કોડ
પરિવહન કોડ - માનસર કોડ

કોડ નં. 7-2023
કોડ નં. 7-2023

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

प्रपत्र सं. पी 26
देखिये नियम 53

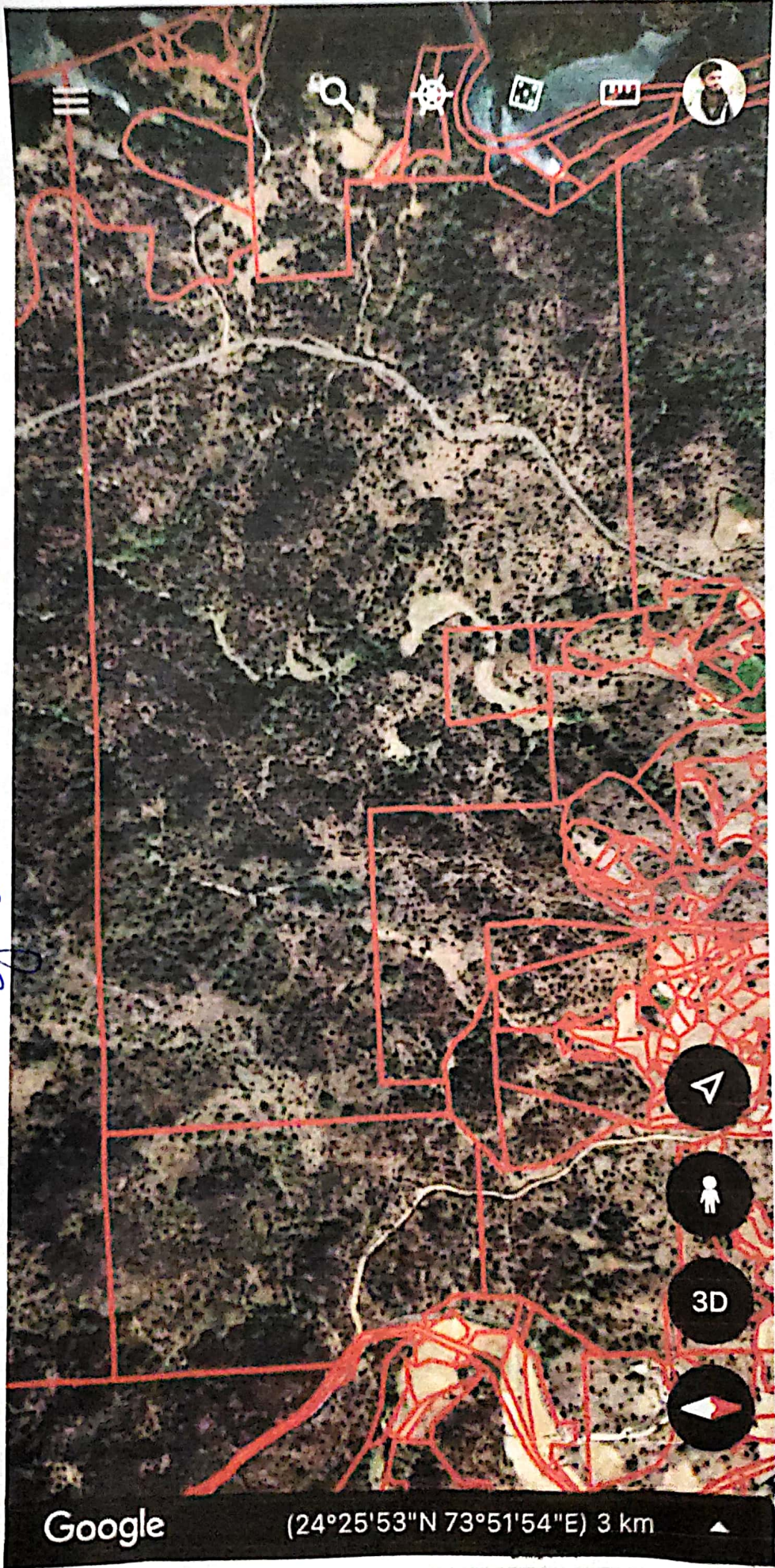
जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम मागो देव पटवार क्षेत्र डांगल कोट अभिलेख निश्चिक क्षेत्र उमरा तहसील कुशाल जिला उड़ीसा राजस्थान सम्वत् 20 सु से 20 सु

खेवट खतौनी सं.		भू-धारकों के नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-वृत्ति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा		संवत् के	संवत् के लिए	संवत् के लिए	संवत् के लिए			
नई	पुरानी							दर सहित ब्यौरा	रकम							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	रज अकाल	बिलामाज के लाल अहिले पट्टादीत पति	1217	40.8740	मारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रजनीश कुमार सिद्धांत अरोड़ा पटवारी 30/6/2022 पटवार मण्डल-शामर कोटवा तह. कुणवद, बि. जयपुर (राज.)																

रजनीश कुमार
सिद्धलाल
पटवारी 30/6/2023
पटवार मण्डल-झामर कोटवा
तह. कुणवद, बि. जयपुर (राज.)

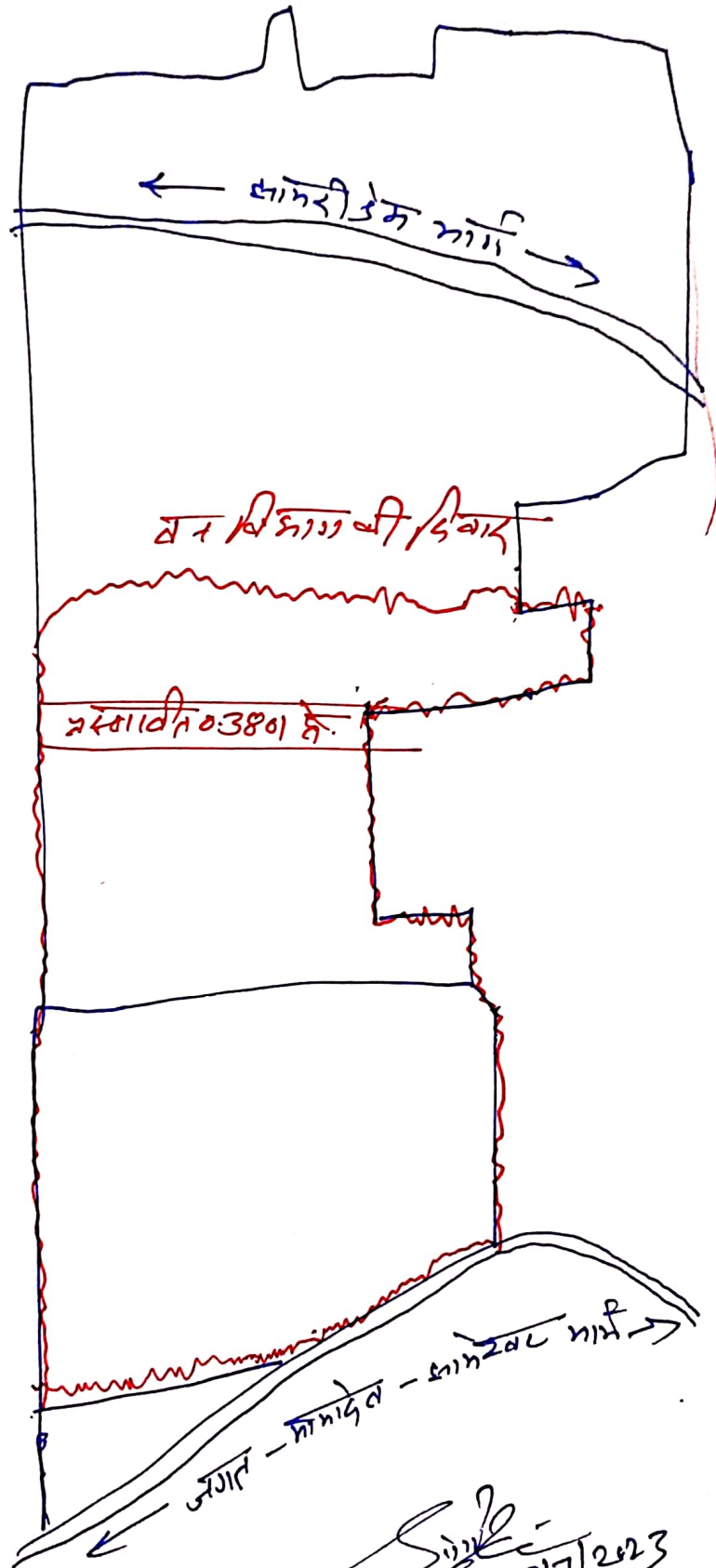
3/202

खण्ड
नगरी
के.वी.
तक



पटवारी 31/7/2023
पटवार मण्डल-शानर कोटकी
तह-कुल्लू जिला-उदयपुर (राज.)

नजरी बरशा मौजा - भामदेव प. म. - झामर कोटड़ा



पटवारी 31/7/2023

पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह.-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)